पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/11–12/देहरादून

कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनः: दिनांक 26 अप्रैल 2011

समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर,वाणिज्य कर
व वाणिज्य कर अधिकारी

शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–525/2011/141(120)/XXVII(8)/2008/ दिनांक–21.04.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ₹ 50 लाख तक वार्षिक बिकी करने वाले शहरी क्षेत्र में स्थित गैर वातानुकूलित रेस्टोरेन्ट को रोड साइड ढाबों की भॉति वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये देयकर के स्थान पर 4 प्रतिशत एकमुश्त कर जमा कराकर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 7(2) के अर्न्तगत समाधान योजना लागू किये जाने से अवगत कराया गया है। **(छायाप्रति संलग्न)**

शासन द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रतियॉ इस पत्र के संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि शासन के दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिशिचित करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(कुमकुम गुप्ता)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय,देहरादून ।

पृ0प0सं0 275/ दिनॉक उक्त।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.प्रमुख सचिव,वित उत्तराखंड शासन देहरादून।
2.महालेखाकार,उत्तराखंड वैभव पैलेस इन्द्रानगर,देहरादून।
3.अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
4.एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन,रूद्रपुर।
5.एडिशनल कमिश्नर(आडिट/प्रवर्तन)वाणिज्य कर,मुख्यालय देहरादून।
6.समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों /व्यापारी संगठनो के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7.ज्वाइंट कमिश्नर(अपील)वाणिज्य कर,देहरादून/हल्द्वानी।
8.ज्वाइंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन)वाणिज्य कर,हरिद्वार/रूद्रपुर।
9.वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
10.श्री राकेश वर्मा, महासचिव उत्तराखंड वाणिज्य कर सेवा संघ वाणिज्य कर कार्यालय रूड़की।

–2–

11.संख्या—अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

12.इन्टावैट ईन्फो प्रा0लि04, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13,आर0सिधुआ मार्ग मुम्बई—400001।

13.नेशनल लॉ हाउस बी—2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड,गाजियाबाद।

14.नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस—15/5 राजनगर गाजियाबाद।

15. डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्याय0कार्य0)वाणिज्य कर,नैनीताल।

16.स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई—233,शास्त्री नगर,गाजियाबाद,—201002

17.अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून ।

18.दी होलसेल डीलर्स एसो0 14,आढ़त बाजार देहरादून।

19.प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसों0 222/5 गॉधी ग्राम,देहरादून।

20.कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।

21.विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

22.शोध—अनुभाग मुख्यालय हेतु।

26.4.11

एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय,देहरादून ।

संख्या 525/2011/141(120)/XXVii(8)/2008

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभागः **वित्त (अनुभाग–8)** **देहरादूनः: दिनांकः: 21 अप्रैल, 2011**

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधान सभा के बजट सत्र में ₹ 50 लाख तक वार्षिक बिक्री करने वाले शहरी क्षेत्र में स्थित गैर वातानुकूलित रेस्टोरेन्ट को रोड़ साइड ढ़ाबों की भॉति वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये देयकर के स्थान पर 4 प्रतिशत एकमुश्त कर जमा कराकर मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) में समाधान योजना का लाभ अनुम्नय किये जाने की घोषणा की गयी है। उक्त प्रकार के व्यवसायियों को योजना का लाभ अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी शासन स्तर से जारी दिशा–निर्देशों की प्रति आपको इस पत्र के साथ इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया योजना के प्राविधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार अपने स्तर से कराते हुए दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–दिशा–निर्देश।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

727
26/4/11

विधि ... आवश्यक कार्यवाही ...

अपर आयुक्त कर
उत्तरांचल देहरादून

Vividh Patra/Commissiner ko Presit/DT

नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद् एवं छावनी सीमा के अन्तर्गत ऐसे रेस्टोरेन्ट/फूड प्वांइन्ट जो किसी होटल/मोटल/टूरिस्ट कॉम्प्लैक्स/गेस्ट हाऊस व रिर्सोट के परिसर में स्थित या उसके अंग नहीं है, के लिये मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 (2) के अन्तर्गत देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान राशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासन के दिशा निर्देश–

1– यह योजना स्वैच्छिक है और योजना का लाभ अपनाने वाले करदाताओं द्वारा निम्न शर्तें पूर्ण करने पर ही योजना अनुमन्य होगी।

2– उक्त योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये लागू होगी।

3– योजना अपनाने वाले करदाता द्वारा अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष संलग्न प्रारूप 1 में अपना प्रार्थना पत्र योजना आरम्भ होने के एक माह के अन्दर देना होगा। नये करदाता व्यापार आरम्भ होने के एक माह के अन्दर प्रार्थन पत्र दे सकते हैं।

4– प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रारूप 2 में एक शपथ पत्र भी उक्त तिथि तक प्रस्तुत करना होगा।

5– प्रार्थना पत्र समय से उपलब्ध न कराने की स्थिति में विलम्ब क्षमा का अधिकार आयुक्त कर को होगा।

6– इस योजना का लाभ केवल नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद् एवं छावनी सीमा के अन्तर्गत स्थित ऐसे रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइंट जो किसी होटल/मोटल/टूरिस्ट कॉम्प्लैक्स/ गेस्ट हाऊस व रिर्सोट के परिसर में स्थित या उसका अंग नहीं है एवं जिनके यहॉ Temprature Control Device यथा Air conditioning, Heating आदि की सुविधा नहीं है व जिनके यहॉ ग्राहको को बैठने के लिये 40 सीट तक की ही व्यवस्था है, तथा जिनकी वार्षिक बिक्री 50 लाख की सीमा के अन्तर्गत है, और जिनके द्वारा प्रान्त के बाहर से अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में कोई आयात नहीं किया जाता है, के लिये अनुमन्य होगा। योजना स्व उत्पाद यथा पका भोजन, नाश्ता आदि के लिये ही अनुमन्य होगी।

7– इस योजना को अपनाने वाले व्यवसायियों को पृथक से कर वसूलने का अधिकार नहीं होगा और न ही इन्हें इनपुट टैक्स का लाभ देय होगा।

8– योजना अपनाने वाले करदाता द्वारा अपने रेस्टोरेन्ट की सकल बिक्री (मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–1 में वर्णित वस्तुओं की बिक्री को छोड़कर)पर 4 प्रतिशत की दर से देय राशि समाधान शुल्क के रूप में त्रैमासिक आधार पर क्रमशः 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी एवं 30 अप्रैल तक अपने रूप पत्र सहित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में जमा करायी जायेगी।

9– यह योजना केवल एक स्वामित्व के अन्तर्गत आने वाले एक प्रतिष्ठान को ही अनुमन्य होगी।

10— योजना अपनाने वाले करदाताओं के व्यवसायिक प्रतिष्ठान की आवश्यकतानुसार करनिर्धारण अधिकारी के स्तर से जांच की जायेगी और यदि योजना की शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो करनिर्धारण अधिकारी तत्काल इसकी सूचना अपने ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को उपलब्ध करायेंगे और ऐसे करदाता के सम्बन्ध में योजना को चालू रखने अथवा समाप्त करने का अधिकार सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) का होगा जिनका निर्णय अन्तिम होगा। ज्वाइन्ट कमिश्नर योजना रद्द करने सम्बन्धी आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित करदाता को सुनवाई का अवसर देंगे। योजना से बाहर होने पर सम्बन्धित करदाता के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सामान्य कर निर्धारण आदि की कार्यवाही की जायेगी।

11— ऐसे करदाता जिन्होंने योजना की शर्तों का अनुपालन किया हो और जिनके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त न हुई हो को पृथक से करनिर्धारण हेतु कार्यालय आने की आवश्यकता न होगी।

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

प्रारूप–1

नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद् एवं छावनी सीमा के अन्तर्गत ऐसे रेस्टोरेन्ट/फूड प्वांइन्ट जो किसी होटल/मोटल/टूरिस्ट कॉम्प्लैक्स व रिर्सोट के परिसर में स्थित या उसके अंग नहीं है, के लिये मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 (2) के अन्तर्गत देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान राशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्रः–

सेवा में,

करनिर्धारक प्राधिकारी,

खण्ड.....

मण्डल/ उपमण्डल...

महोदय,

मैं फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत .....कार्यालय..... .....द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या.....दिनांक.....से प्रभावी किया गया है/ जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए करनिर्धारक प्राधीकारी खण्ड.....मण्डल/ उपमण्डल.....के कार्यालय में दिनांक .....को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी/ साझीदार .....हूँ। मैंने उक्तानुसार वर्णित रेस्टोरेन्ट/फूड प्वांइन्ट व्यवसाय के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2011–2012 में की गयी बिक्री पर देय कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) में एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है, अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भलीभॉति समझ लिया है। उक्त निर्देश की सभी शर्तें मुझे मान्य है। उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा पके हुए भोजन, नाश्ता आदि की वित्तीय वर्ष 2011–2012 में की गयी बिक्री पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र/अनुबन्ध के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से एकमुश्त देय समाधान धनराशि को 4 किश्तों में क्रमशः 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी एवं 30 अप्रैल तक बिक्री के रूपपत्र सहित जमा करने का निवेदन करता हूँ। कुल एकमुश्त धनराशि को शपथ पत्र/अनुबन्ध में की गयी शर्तों के अनुसार जमा करुंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी कारण मेरा यह शपथ पत्र/अनुबन्ध वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा। दिनांक 01–04–2011/व्यापार आरम्भ करने की तिथि को रेस्टोरेन्ट/फूड प्वांइन्ट की स्थिति निम्नप्रकार है–

क्र0सं0	विवरण
1.	स्थान की उपलब्धता
2.	कुर्सीयॉ
3.	मेज
4.	फ्रिज
5.	पंखे
6.	कार्यकर्ता

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरे रेस्टोरेन्ट/फूड प्वांइन्ट में Temprature Control Device यथा Air conditioning, Heating आदि की सुविधा नहीं है तथा रेस्टोरेन्ट चलाने हेतु.....क्षमता का बिजली का कनैक्शन प्राप्त किया है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
प्रास्थिति.....

प्रामाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म.....के स्वामी/ साझीदार.....हैं, तथा इस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के
हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

प्रारूप–2 :–

समक्ष करनिर्धारक प्राधिकारी,
खण्ड.....
मण्डल / उपमण्डल.....

मैं .....पुत्र श्री.....आयु लगभग.....वर्ष, स्थायी निवासी.....(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि–

1. मैं, फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....(पूरा पता) पर स्थित है का स्थायी / साझीदार.....(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2. मेरे फर्म का मुख्यालय, पूरा पता तथा निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण निम्नप्रकार है:–

1– मुख्यालय उत्पाद

3– उक्त रेस्टोरेन्ट / फूड प्वांइन्ट की बिक्री पर देय करके स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तों तथा आयुक्त कर उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी–पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है, तथा सभी निर्देश, शर्तें, आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।

4–यदि मेरे द्वारा फर्म की ओर से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है तब समाधान धनराशि मेरी फर्म द्वारा क्रमशः 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी एवं 30 अप्रैल को रूपपत्र सहित कुल बिक्री (मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–I में वर्णित वस्तुओं की बिक्री को छोड़कर) पर 4 प्रतिशत की दर से जमा की जायेगी।

5– हमारा / मेरा रेस्टोरेन्ट / फूड प्वांइन्ट नया अथवा.....से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (7) के खण्ड (ड.)(ii) के अन्तर्गत विघटन के कारण पुर्नगठित हुआ है और इसमें दिनांक.....से बिक्री प्रारम्भ हुई है / होगी। इस पर देय समाधान राशि मैं आयुक्त कर के निर्देशानुसार जमा करूंगा।

6– यदि वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिये मेरा धारा 7 की उपधारा (2) में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र / अनुबन्ध के अनुलग्नक–1 में दी

गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा आयुक्त कर द्वारा लगायी गयी शर्तो/ प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तो के अनुपालन न किए जाने की दशा में उत्तराखण्ड शासन तथा वाणिज्य कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियॉ मेरी फर्म के विरूद्ध कर सकेगा।

7– मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त व्यापार के सम्बन्ध में न तो प्रान्त के बाहर से आयात किया जायेगा और नहीं मेरे द्वारा पृथक से कर वसूला जायेगा।

हस्ताक्षर.....
पूरा पता.....
प्रास्थिति.....

घोषणा

मैं कि.....उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र अनुबन्ध के प्रस्तर–1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तो और निर्देशों से मै तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेगें।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
प्रास्थिति.....

साक्षी के हस्ताक्षर.....
नाम एवं पता.....
तिथि एवं स्थान.....